(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

अशोक सिघंल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 39 सन् 2019
RCMS No. 2019/00082

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.10.19	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अशोक सिंघल (आर0टी0आई कार्यकर्त्ता) निवासी लाल बाजार जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी धौलपुर) द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 4.11.2019 को पेश हो। जिला कलक्टर धौलपुर	694-95 23.10.19
4.11.2019	अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से टिप्पणी प्राप्त हो शामिल पत्रावली की गई। जि. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 5.11.2019 को पेश हो।	
5.11.19	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना पत्रांक 76 दिनांक 11.09.2019 व 94 दिनांक 16.10.19	

PTO

से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।
अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट
की प्रतिलिपी अपीलार्थी को उपलब्ध कराते
हुऐ प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया
जाता है। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम
किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर